

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) दाखिले के लिए न्यूनतम योग्यता गणित और विज्ञान के साथ हाई स्कूल पास अथवा उसके समकक्ष हैं और दाखिले योग्यता के आधार पर किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश की बहु-प्रयोजनीय संस्थाओं में दाखिला

5257. श्री रामजी राम : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की सरकारी बहु-प्रयोजनीय संस्थाओं में त्रि-वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 1966-67, 1967-68 तथा जुलाई, 1968 तक कितने-कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितने उम्मीदवारों को दाखिला दिया गया तथा कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की ;

(ग) उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य जातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी-कितनी थी ; और

(घ) उपर्युक्त प्रत्येक संस्था का नाम क्या है, उसमें पाठ्यक्रम क्या है, कितने स्थान हैं तथा दाखिले के लिए कितनी अर्हता अपेक्षित है तथा दाखिले की शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) . उपलब्ध सूचना पर आधारित विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। (पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT-1864/68)।

पाठ्यक्रमों के लिए प्राथियों की संख्या, प्राथियों की और दाखिल हुए विद्यार्थियों की जाति-वार संख्या तथा जिन उम्मीदवारों ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया उनकी जाति-वार संख्या विषयक व्योरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

DEGREE COLLEGE OR POLYTECHNIC FOR ROHRU AND JUBBAL AREAS OF HIMACHAL PRADESH

5258. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no Degree College or Polytechnic in the Rohru and Jubbal areas in District Mahasu of the Union Territory of Himachal Pradesh;

(b) whether there is any proposal to open colleges and polytechnics in the Rohru, District Mahasu;

(c) if so, the details thereof;

(d) when the Colleges are likely to be opened; and

(e) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD):

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

(e) There is at present no justification for opening a degree college or polytechnic at Rohru.

JOINT CONSULTATIVE MACHINERY

5259. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether questions of salary and allowances, leave and hours of work are arbitrable issues in the constitution of the Joint Consultative Machinery;

(b) if so, whether such questions are referred to arbitration after a disagreement has been recorded; and

(c) if not, the provisions of the constitution of the Joint Consultative Machinery?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY):

(a) Yes, Sir, if they relate to a class or grade of employees.

(b) Yes, if they relate to a class or grade of employees.

(c) Does not arise.